# पटना विश्वविद्यालय

## बजट अभिभाषण

## 2016-17

5 मार्च, 2016

# पटना विश्वविद्यालय, पटना

**माननीय कुलपति महोदय तथा अनुषद् के सम्मानित सदस्यगण,**

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 2014-15 में हुए वास्तविक आय-व्यय, 2015-16 का पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलन तथा 2016-17 के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

पहले की तरह ही प्रस्तुत आय-व्ययक दो खण्डों में विभाजित है । खण्ड-I में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Revenue Receipts & Payment) से सम्बन्धित प्राक्कलन हैं । वस्तुत: यही विश्वविद्यालय का सामान्य कोष है। खण्ड-II में पूँजी एवं विकास परियोजनाओं के आय-व्यय (Capital Receipts & Payment) दिखाये गये हैं।

**खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय ( Recurring /Revenue Receipts & Payment):** वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन (Proposed Estimates of Receipts & Payment) को चार उप-शीर्षकों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है । ये उपशीर्षक है: (1) उच्च शिक्षा विभाग (2)विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (3)दूर-शिक्षा निदेशालय तथा (4)स्व-वित्तपोषित/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम इनका प्रस्तुतीकरण दिया जा रहा है :

## खण्ड-I आवतेक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण
## (Summary of the Recurring/Revenue Receipt & Payment)

| क्र.सं. | विवरण | वास्तविक आय-व्यय 2014-15 (करोड़ रू० में) | पुनरीक्षित आय-व्ययक 2015-16 (करोड़ रू० में) | प्रस्तावित आय-व्ययक 2016-17 (करोड़ रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| (अ) | 1. शिक्षा विभाग - वेतन, भत्ता, सेवान्तक लाभ, आकस्मिक व्यय सहित | 198.12 | 252.09 | 278.89 |
| | 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- बी.सी.ई. वेतनान्तर एवं सेवान्तक लाभ पर व्यय | 1.77 | 8.71 | 8.82 |
| | 3. दूर शिक्षा निदेशालय - सम्पूर्ण व्यय | 4.58 | 3.42 | 2.53 |
| | 4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम- सम्पूर्ण व्यय | 5.73 | 6.78 | 7.07 |
| | योग कुल - व्यय | 210.21 | 271.00 | 297.31 |
| (ब) | (-) घटाव कुल आय *(अनुदान रहित)- | 25.83 | 25.19 | 25.81 |
| (स) | कुल शुद्ध घाटे का बजट (Net Deficit Budget) (अ-ब) | (+) 184.38 | (-) 245.81 | (-) 271.50 |

### (क) वास्तविक आय-व्यय (Actuals of Receipt & Payments) 2014-15 :

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 198.12 करोड़ रू. वास्तविक व्यय के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा कुल 202.85 करोड़ रु. अनुदान् के रूप में उपलब्ध कराया गया था। इस अनुदान पर खर्च आगे के वित्तीय वर्ष में हुआ है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र तदनुसार सरकार को भेजा गया है ।

### (ख) पुनरीक्षित आय-व्ययक (Revised Budget Estimates) 2015-16 :

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष, 2015-16 के लिए अभिषद् द्वारा पारित 295.22 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में से समस्त

आन्तरिक श्रोतों से प्राप्त 47.60 करोड़ रुपये घटाने के पश्चात् 247.62 करोड़ रुपये का घाटे का बजट प्रस्तुत किया था।

उपर्युक्त के विरूद्ध वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित बजट में कुल 271 करोड़ रु० के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त 25.19 करोड़ रु० की आय घटाने के पश्चात् 245.81 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट पर मार्च 2015 से जनवरी 2016 तक वेतनादि/ पेंशनादि मदों में कुल 139.84 करोड़ रु० का अनुदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है ।

उपर्युक्त अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवान्तक लाभ के मदों में सरकार से प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को भेजा जा चुका है।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्ष 1996 एवं वर्ष 2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतनान्तर एवं सेवांतक लाभ के मदों में ससमय पर्याप्त अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण कुछ लोगों को उन भुगतानों के नहीं दिए जा सकने की स्थिति में विश्वविद्यालय को अनावश्यक न्यायिक मामलों का सामना करना पड़ता है एवं व्ययों का भार वहन करना पड़ रहा है ।

**( ग ) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार ):**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित बजट में कुल 8.71 करोड़ रूपये के घाटा-अनुदान की राशि में से मार्च 2015 से जून 2015 तक के पेंशन भुगतान के लिए मात्र 2.45 करोड़ रूपये विमुक्त किये गये हैं । इस मद में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि एवं वेतनांतर राशि के भुगतान के लिए 6.26 करोड़ रूपये अभी तक राज्य सरकार से अप्राप्त है। यह राशि बजट का प्रारूप (वर्ष 2016-17) बनने के बाद अभी प्राप्त हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन एवं वेतनान्तर भुगतान हेतु कुल 8.82 करोड़ रूपये (घाटे) का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है ।

## (घ) सृजित पद एवं कार्यरत बल (Sanctioned posts and Employees in position) :

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 888 पदों के विरूद्ध वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों 2015 की कुल संख्या बहुत कम हो गई है । यह अक्टूबर 2015 में मात्र 318 थी एवं 35 तदर्थ शिक्षकों की भी सहायता ली जा रही है । रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इसी तरह पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1436 पदों के विरूद्ध मात्र 781 शिक्षकेत्तर कर्मी ही कार्यरत हैं।

पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्तुत बजट में वर्ग के आधार पर योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं का संचालन के लिए 16 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति Outsourcing द्वारा करने के लिए प्रस्तुत बजट में 15.00 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है । यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगी ।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर Outsourcing के आधार पर शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.50 करोड़ रूपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। इसके आधार पर खर्च आगामी वर्ष 2015-16 में किया जा रहा है।

**( ड. ) परिनियत अनुदान ( Statutory Grant ) :**

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 47(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष परिनियत अनुदान बिहार सरकार के समेकित निधि से देगी । यह प्रावधान है कि प्रति पाँच वर्ष में उक्त राशि का समयानुकूल संशोधन कुलपति से विचार विमर्श के उपरांत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के विकास के लिए भी समय-समय पर अतिरिक्ति राशि बिहार सरकार द्वारा अनुदान के रूप में विमुक्त किया जाना है ।

इस पृष्ठ भूमि में ज्ञातव्य है कि वार्षिक परिनियत अनुदान 1.61 करोड़ 2005-06 से अभी तक अदेय है । वांछित बढ़ोत्तरी तो नही ही की गयी और न हि विकास कार्य के लिए कोई सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा दिया गया । अगर केवल परिनियत अनुदान पर विचार करें तो 1.61

करोड़ की दर से पिछले ग्यारह वर्षों में कुल 17.71 करोड़ रुपये राशि होती है जो अप्राप्त है । यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त राशि नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और विकास कार्य अवरूद्ध है । इसी अनुदान से प्रयोगशालाओं, पुस्तकालाओं आदि के आवर्त्तक व्यय होते थे ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान के मद में राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्युत बोर्ड को दिनांक 11.01.2013 को 55.00 करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट हस्तगत कराया गया था । फिर भी विश्वविद्यालय पर विद्युत-बकाये के रूप में लगभग 2.72 करोड़ एवं नगर निगम कर इत्यादि पर 0.41 करोड़ रुपये बाकी है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है ।

**(च) प्रस्तावित आय-व्ययक (Proposed Estimates of Receipt & Payment), 2016-17 :**

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा विभाग पर 278.89 करोड़, दूर-शिक्षा निदेशालय पर 2.53 करोड़, स्ववित्तपोषित/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर 7.07 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर 8.82 करोड़ रुपये अर्थात कुल 297.31 करोड़ रुपये के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक स्त्रोंतों से अनुमानित आय 25.81 करोड़ रूपये घटाने के पश्चात् कुल 271.50 करोड़ रूपये मात्र घाटे का बजट (Deficit Budget) सदन के पटल पर माननीय अनुषद् सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत हैं ।

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से उच्च शिक्षा पर 265.07 करोड़ रुपये के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा 8.82 करोड़ रुपये घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजे जा सकेंगें ।

**प्रस्तावित 2016-17 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-**

**( 1 )** वित्त विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक ब 17/बी.एस.जी. -140/2015-740 (वि) दिनांक 20.8.2015 एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2067 दिनांक 09.10.2015 में निहित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में प्रस्तावित बजट के अन्तर्गत वेतनादि/पेंशनादि की गणना 131 प्रतिशत महँगाई भत्ता या महँगाई राहत के आधार पर की गई है तथा जुलाई, 2016 में तीन प्रतिशत (3%) की दर से वेतनवृद्धि को जोड़कर फरवरी 2017 तक के लिए प्रस्तावित बजट 2016-17 में प्रावधान किया गया है ।

**( 2 )** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर **Schedule - D** के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष क्रमश:

1986, 1996 तथा 2006 से प्रभावी चतुर्थ, पंचम् एवं षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, महँगाई भत्ता अंतर राशि, विज्ञापन बकाया विद्युत विपत्र, नगर निगम कर आदि बकायों के लिए 15.53 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

( 3 ) इसी प्रकार **Schedule - A** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेंशनादि, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के जनवरी 2006 से प्रभावी षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण वेतनान्तर, नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन वकाया, ए०सी०पी०/ एम० सी०पी० वेतनांतर तथा अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों के बकायों के भुगतान के लिए भी प्रस्तावित बजट में कुल 117.81 करोड़ का प्रावधान किया गये हैं ।

( 4 ) पुनः वित्तीय वर्ष 2015-16 के **Schedule - C** के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों के भुगतान में एकरूपता बनाये रखने के लिये सेवानिवृत कर्मियों को वर्ष 2006 से प्रभावी षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में पेंशन, उपादान, उपार्जित अवकाश- नकदीकरण, मँहगाई राहत, सेवान्तक लाभ एवं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 45% पेंशन आदि बकायों के भुगतान के लिए कुल 13.37 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(5) इस वर्ष पटना विश्वविद्यालय अपना गौरवपूर्ण सौ वर्ष पूरा कर रहा है । इस शुभअवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जाएगा एवं अन्य

कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नैक मूल्यांकन के लिए आन्तरिक संरचना के सम्बर्धन एवं अपने आन्तरिक रख-रखाव, सौन्दर्याकरण पर 15 करोड़ रु० का, इस बजट में विशेष प्रावधन किया गया है ।

( 6 ) ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ0/08-01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय को एन. आइ. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि / पेंशनादि सहित अन्य सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है । किन्तु तत्कालीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्तक लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है । इन लोगों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष, 2015-16 के पुनरीक्षित बजट में 8.71 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट में 8.82 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ज्ञातव्य है कि वित्तीय संकटों के वाबजूद आन्तरिक स्रोतों यथा- परीक्षा, दूर शिक्षा निदेशालय आदि से ऋण प्राप्त कर तत्कालिन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जिनियरिंग के सेवानिवृत्त कर्मियों को सितम्बर 2014 माह तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि के पेंशन का भुगतान विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् ही संभव हो सकेगा । सरकार से अनुदान विमुक्त कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सतत् प्रयास किया जा रहा है ।

( 7 ) विश्वविद्यालय मुख्यालय, कॉलेजों, छात्रावासों, विभागों, आवासों आदि की विशेष मरम्मती के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक 2016-17 के आकस्मिक व्यय मद में कुल 4.46 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

( 8 ) प्रस्तुत बजट में मुख्यालय, महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों तथा स्व-वित्तपोषित संस्थानों की साफ-सफाई एवं उनके सौन्दर्यीकरण के लिए भी राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

( 9 ) इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में पुस्तकालय व्यय, प्रयोगशाला व्यय, छात्र के क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

( 10 ) राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 2085 दिनांक 09.12. 1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट अनुदान स्वीकृति के क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक स्त्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों ( Contingent Expenses/Contingencies ) की प्रति-पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशानिदेश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्त्रोतों के

प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2016-17 में व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बजट 2016-17 के **Schedule-B** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों के लिए कुल 42.31 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आंतरिक स्त्रोतों से कुल 13.82 करोड़ रूपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

**( 11 )** स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational/ Self Financed Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक व्यय 5.73 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2015-16 पुनरीक्षित में व्यय पर 6.78 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.07 करोड़ रूपये व्यय के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2014-15 में वास्तविक आय 9.90 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2015-16 पुनरीक्षित में 8.46 करोड़ रूपये आय तथा वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट में 8.80 करोड़ रूपये आय प्राप्त होने की संभावना है । इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है ।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन-व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर किया जाता है ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आए दिन परम्परागत पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों के रूझान में कमी आई है। माननीय सदस्यों को इस समस्या के समाधान पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

**खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद ( Non-recurring / Capital and Development ) :**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय-समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार से विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय-व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring/Capital and Development ) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध-परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय-व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये विकास कार्यों, नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर विभागों की स्थापना का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

**(A)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 तक विश्वविद्यालय को General Development Asistance Scheme के तहत् कुल 6.44 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ था । प्राप्त अनुदान से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक पुस्तक एवं पत्रिका मद में 62.85 लाख एवं प्रयोगशाला मद में 124.40 लाख अर्थात् कुल 187.25 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है तथा शेष रकम वित्तीय वर्ष 2014-15 में खर्च कर लेने का प्रस्ताव है ।

इस अनुदान के व्यय करने की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण सम्बंधी विस्तृत विवरणी **(A-1)** में अलग से दी गई है ।

**(B)** XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत स्वीकृत राशि 1.20 करोड़ रुपये के विरूद्ध प्राप्त 30 लाख रुपये को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किया जा चुका है । XI पंचवर्षीय योजना की शेष अनुपयोगित रकम 2.48 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 96 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं । तथा शेष रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

**(C)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्र सरकार से विश्वविद्यालय के विविध शोध-परियोजनाओं (Miscellaneous Research Projects/Schemes) के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में 43.35 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई थी जिसमें से कुल 42.85 लाख रुपये बजट प्रारूप अनुमोदित होने समय तक उपयोग किये गये थे ।

**(D)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Infrastructure Development हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान (Additional Development Grant) मदों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 1. 00 करोड़ रुपये के विरूद्ध 90.00 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2015-16 में 8.22 लाख रुपये खर्च के लिए था जो खर्च नहीं किया जा सका । अत: इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय करने का प्रस्ताव है ।

सम्बंधित विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि प्राप्त अनुदान के उपयोग का विश्वविद्यालय के माध्यम से अंकेक्षण कराकर

यू०जी०सी०/केन्द्र सरकार / राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।

**(E)** शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है ।

इसी योजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर Outsourcing द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव है । इसके लिए पाँच वर्षों के लिए कुल 48.13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है । साथ ही पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि हेतु स्वीकृत तकनीकी पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता तथा मानदण्डों के अनुरूप भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के आर्थिक अनुमोदन के पश्चात् प्रयास आरंभ की जायेगी ताकि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके । इसका निर्णय अभिषद् ने लिया है ।

इसके अतिरिक्त यू०जी०सी० को विश्वविद्यालय के 9 विकास परियोजनाओं के लिए 48.10 लाख रुपये XII पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुमोदन/विमुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

**(F)** वित्त समिति की दिनांक 19.01.2016 एवं अभिषद् की दिनांक 24.02.2016 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया :-

स्नातकोत्तर विभागों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का लक्ष्य है । यह बहुमंजिला इमारत कमसे कम दस मंजिल या उससे अधिक का होगा, जिसमें तीन खण्ड होंगे । इसमें साइंस ब्लॉक मानविकी ब्लॉक एवं समाज विज्ञान ब्लॉक स्थापित किये जायेंगे । यह इमारत अत्याधुनिक सुविधा के साथ, विशेषज्ञों, वास्तुविदों और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुपालन करते हुए बनाई जायेगी । इसपर लगभग 200 करोड़ रुपये अनुमानित व्यय होने का प्रस्ताव है । इसका विस्तारित प्रारूप विश्वविद्यालय अभियंता शीघ्र तैयार करें, ऐसा निर्देश दिया गया ।

यह भी निर्णया लिया गया कि राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्ताव को यू०जी०सी० एवं राज्य सरकार या अनुदान ऐजेन्सियों को भेजा जाय ।

**(G) नये स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना** - राज्य सरकार के ज्ञापांक 1/व3-0167/2005-81 दिनांक 16.01.2015 के द्वारा दो निम्नलिखित स्वतंत्र विभागों की स्थापना की स्वीकृति दी है । इन विभागों में एक-एक प्रोफेसर एक-एक रीडर एवं एक-एक लेक्चरर के पद की स्वीकृति प्रदान की है :-

1. P.G. Department in Rural Studies
2. P.G. Department in Bio-Chemistry

**(I)** प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षकदल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2011-12 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है तथा इस अवधि का अंकेक्षण (निरीक्षण) प्रतिवेदन भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रधान महालेखाकार बिहार को भेज दिया गया है । इस सम्बंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेज दिया गया है ।

**(J)** आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स वरूण एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण किया जा चुका है । वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखा के अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्रधान लेखाकार बिहार, पटना एवं राज्य सरकार को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा गया है ।

पुनः वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखा के आंतरिक अंकेक्षण हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति प्रक्रियान्तर्गत है । इस पर सदन की सहमति अपेक्षित है ताकि वार्षिक लेखा का प्रतिवेदन तैयार कराया जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 का वार्षिक आय-व्यय, वर्ष 2015-16 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

**जय हिन्द, जय भारत ।**

**पटना ।**
**दिनांक : 05.03.2016**

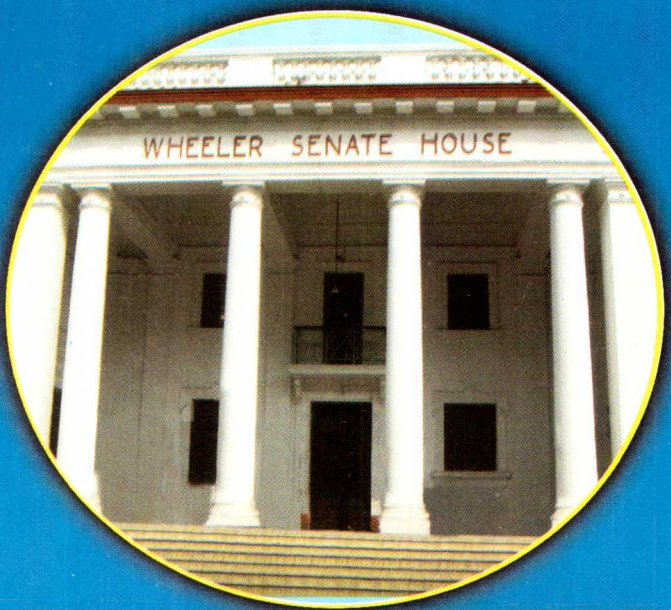


**PATNA UNIVERSITY**

Ashok Rajpath, Patna - 800 005

Website : *www.patnauniversity.ac.in*

Printed at : P. U Press